उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की प्रशिक्षण नीति

1. प्रस्तावना

किसी भी उद्योग की सफलता के लिये यह आवश्यक होता है कि उसमे कार्यरत सभी कार्मिक आधुनिक तकनीकों तथा प्रबन्धन नीतियों का ज्ञान रखते हों तथा अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतया कुशल एवं दक्ष हों। उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन हेतु उत्तरदायी प्रदेश का एकमात्र निगम है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु समुचित विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है एव इसमें अधिक से अधिक वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये यह अपरिहार्य है कि निगम मे कार्यरत सभी अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों को उनके कार्यक्षेत्र मे इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आवश्यक योगदान प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम हों।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 ने अपनी एक स्पष्ट प्रशिक्षण नीति निर्धारित करने का निर्णय लिया है ताकि सभी कार्मिकों की वर्तमान योग्यताओं का सही आंकलन करके उनके लिये आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किये जा सकें तथा तदानुसार उनको तकनीकी एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। इससे निगम के पास कुशल एव पूर्णतया प्रशिक्षित विशेषज्ञों का एक समूह उपलब्ध हो जायगा जो इस उद्योग तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा ।

2. प्रशिक्षण के लक्ष्यः-

1. कार्यस्थल पर कार्यरत रखते हुए कार्मिकों के कौशल में वृद्धि करना।
2. कार्मिको को स्वविकास हेतु तैयार करना।
3. कार्मिको को निगम के मूल्यवान संसाधन के रूप में विकसित करना।
4. कार्मिको को राष्ट्र एवं प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनको अच्छे आचरण हेतु प्रोत्साहित करना ।
5. कार्मिकों को निगम की कार्य संस्कृति में लीन करना ।
6. कार्मिको में नेतृत्व एवं प्रबन्धन के गुण विकसित करना।
7. कार्मिकों को निगम के लक्ष्यों के प्रति सजग एवं निष्ठावान बनाना।

3. प्रशिक्षण के उददेश्य

क) समूह– घ के कार्मिकों को उनके दायित्वों, कार्य के नये तौर तरीकों तथा उपकरणों के संबध मे ज्ञान प्रदान करके उनको कार्यकुशल तथा दक्ष बनाना तथा स्वविकास एवं स्वउन्नति के अवसरों से अवगत कराना ताकि उनमें छिपी हुई क्षमताओं की पहचान व उनका विकास हो सके।

ख) समूह – ग के कार्मिकों को आधुनिक कार्यशैली एवं तकनीकों का सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके उनको कार्य मे दक्ष बनाना तथा स्व–विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना।

ग) समूह – ख के कार्मिकों को उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल एवं दक्ष बनाना तथा उनमें निगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता एवं निष्ठा की भावना जागृत करना तथा इसको दृढ बनाना। साथ ही उनमें प्रशासनिक गुणों को विकसित करना।

घ) समूह – क के कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण का उद्देश्य नेतृत्व की क्षमता तथा उच्च स्तरीय व सामयिक तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कौशल का विकास करना एवं उनमे सृजनशीलता की इच्छा/क्षमता का विकास करना ।

च) प्रशासनीय व उच्चतर प्रबन्धकीय स्तर के कार्मिकों में प्रशासन, नियोजन तथा नीति निर्धारण की क्षमता का विकास करना तथा उनमें आदर्श नेतृत्व के लिये आवश्यक गुणों को विकसित करना ।

4. उच्चस्तरीय प्रबन्धन का प्रशिक्षण के प्रति समर्पण :

प्रशिक्षण के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने हेतु प्रबन्धन की प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। निगम हेतु लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर उपयोग की गई धनराशि को व्यय नहीं अपितु निवेश समझा जाएगा। कार्मिकों की योग्यता में विकास निगमीय हित माना जायेगा।

5. प्रशिक्षण की पात्रता

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र होंगे एवं जहाँ प्रत्येक कार्मिक की क्षमताओं का आंकलन कर उसका प्रशिक्षण व विकास करना निगम का दायित्व होगा वहीं आवश्यकतानुसार निश्चित अंतराल पर प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रत्येक कार्मिक का अधिकार होगा जिससे कि कार्मिक अपनी पूर्ण क्षमता से विभागीय हित में सहयोग दे सकें। उनके लिये प्रशिक्षण की अलग–अलग रूपरेखा एवं कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे। इस उद्देश्य से उनको निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जायगा :–

क– समूह – घ तथा समूह – ग के ऐसे कार्मिक जो कार्यस्थल व उपकरणों इत्यादि के संचालन, रख रखाव एवं सफाई इत्यादि के कार्य करते है ।

ख– अवर अभियन्ता।

ग– कार्यालयों में कार्यरत समूह – ग के कार्मिक।

घ– समूह – ख के तकनीकी कार्मिक ।

सुरेन्द्र

च– समूह – ख के गैर तकनीकी कार्मिक।

छ– समूह – क के समस्त कार्मिक।

ज– उच्चतर स्तर के प्रशासनिक एवं प्रवन्धकीय कार्मिक।

6. प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण–

प्रत्येक कार्मिक की योग्यता, क्षमता, कुशलता एव दक्षता का समय–समय पर आंकलन किया जाएगा तथा तदानुसार उनके लिये आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण करके उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आकलन हेतु उनकी वार्षिक गोपनीय आख्या पर विचार करने के साथ–साथ उनके अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके लिये कुछ मौखिक/लिखित प्रश्नावली का भी निर्धारण किया जा सकता है।

7. प्रशिक्षण की रूपरेखा

क– निगम में नव नियुक्ति के समय सभी कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही उनको कार्यस्थल पर तैनात किया जायेगा। तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमा की योग्यता वाले कार्मिकों हेतु यह कार्यक्रम लम्वी अवधि के होंगे एवं उनमे प्रत्येक 3 माह के पश्चात् परीक्षाएँ ली जाएंगी। प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को प्रत्येक वर्ष उच्चीकृत किया जाएगा ताकि उनमे आधुनिकतम सैद्धान्तिक एव व्यवहारिक ज्ञान का समावेश किया जा सके ।

ख– सेवारत कार्मिको को उपयुक्त अंतरालों मे, जो प्रथम चरण मे 3 वर्ष का होगा, अल्पकालीन (दो सप्ताह तक का) प्रशिक्षण दिया जायगा ताकि उनके सैद्धान्तिक एव व्यवहारिक ज्ञान का आधुनिकीकरण किया जा सके।

ग– प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त वाद समस्त कार्मिकों को दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्रोन्नति के पद की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम वन सकें।

घ– विशिष्ट पदो पर तैनात किये जाने से पूर्व कार्मिकों को आवश्यक विशेषज्ञता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

च– सभी कार्मिकों को समय–समय पर स्वविकास एवं स्वउन्नति के नवीनतम अवसरो के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

छ– स्वविकास की रुझान वाले कार्मिकों की क्षमता का आकलन करके उनको उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित सस्थानो में भेजा जाएगा ताकि उनकी क्षमताओं का अधिकतम विकास हो सके।

सुरेन्द्र

ज– प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा कि प्रशिक्षण, कार्मिकों द्वारा परियोजनाओं पर किये जा रहे कार्यों के अनुसार हो एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हों।

झ–(1) निगम द्वारा कार्मिकों की क्षमता, पदोन्नति नीति व उनकी वार्षिक निष्पादन आख्या इत्यादि के अनुरुप निगम द्वारा स्वयं कार्मिकों को तकनीकी/प्रबन्धकीय शिक्षा/प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा। इस प्रशिक्षण काल को सेवाकाल मानते हुए उसे प्रशिक्षण पर जाने के तत्काल पूर्व नियुक्ति स्थल पर प्राप्त होने वाले वेतन, सभी भत्ते (प्रोत्साहन भत्ता एवं स्थानीय बहिर्गमन भत्ता छोड़कर) व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। परन्तु यदि कार्मिक कार्यक्रम के प्रस्तावित समय सीमा में सफलतापूर्वक उचित स्तर प्राप्त नहीं कर पाता , तो उसे उसी कार्यक्रम हेतु सुविधा पुनः निगम के खर्चे पर उपलब्ध नही करायी जायेगी। परन्तु उचित स्तर प्राप्त करने हेतु यदि कार्मिक अपने स्तर से प्रयास करने को इच्छुक है, तो उसके लिए उसे "अध्ययन अवकाश" के अन्तर्गत अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) गम्भीरतापूर्वक, निगम के लिए लाभकारी अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक कार्मिकों को अवसर एवं कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी। वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही प्राप्त होगी एवं उसकी राशि प्रथम् श्रेणी से कम अंक प्राप्त करने पर कुल शुल्क की 50 प्रतिशत, प्रथम् श्रेणी आने पर 75 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त करने पर शतप्रतिशत होगी। शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार (संस्थान द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार) ब्याजमुक्त शत–प्रतिशत ऋण की सुविधा निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) पोस्टल, पत्राचार (correspondence) व डिस्टेन्स लर्निंग पाठ्यक्रमों हेतु औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

ट– परियोजनाओं पर उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा एवं इसके लिये अच्छे प्रशिक्षकों का पूल भी बनाया जायेगा जो समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध रहेंगे। सस्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का और विकास भी किया जाएगा ताकि उनको अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके एवं आई.एस.ओ–9001:2000 प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सके।

थ– परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सेमुलेटर ट्रेनिंग आवश्यक होगी जिससे कि वे ताप विद्युत गृहों के संचालन के समय आने वाली समस्याओं को समझ सकें एवं तत्परता से समस्याओं का निराकरण सफलतापूर्वक कर सकें।

द– योग्य अभियन्ताओं को उच्च स्तरीय प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिलाया जायेगा जिससे कि उनमें तकनीकी ज्ञान के साथ–साथ प्रबंधकीय ज्ञान का भी समावेश हो एवं वे ऊर्जा क्षेत्र के विकास, रिफार्म एवं पुनर्संरचना के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

ध– कार्मिकों की कार्य संस्कृति एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि कार्मिकों में विभाग के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना जागृत हो सके।

न– पावर सेक्टर में हो रहे रिफार्म के प्रति कार्मिकों को जागरूक करते हुए रिफार्म के फलस्वरूप उनके नये दायित्वों से परिचित कराया जाएगा ताकि वे रिफार्म प्रक्रिया में सहयोग दें।

प– प्रवन्धन कार्यक्रमों के विकास हेतु नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रशासनिक स्तर के उच्चतम अधिकारियों को उनकी सेवाकाल में प्रशासनिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कम से कम एक विस्तृत/दीर्घकालीन (लगभग 6 सप्ताह का) प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे कि वे पावर क्षेत्र में, रिफार्म के दौर में, अपने दायित्वों को भली भॉति समझकर विभागीय हित में कार्यो को सम्पादित कर सकें।

फ– कार्मिकों को कम्प्यूटर, तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ग– योग्य कार्मिकों को विभागीय कार्य विशेष हेतु वैदेशिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उनकी तैनाती तदानुरूप की जायेगी ताकि उनके द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण का पूर्ण उपयोग हो सके। वैदेशिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक विभाग के अन्य कार्मिकों को भी आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण देंगें।

भ– अग्नि, भूकम्प एवं आतंकी हमलों से निपटने के उददेश्य से प्रत्येक परियोजना पर महाविपदा विशेषज्ञ दलों का विकास करने के लिये महाविपदा प्रवन्धन प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा जिससे ऐसी परिस्थितियों में कार्मिकों को सुरक्षित रखते हुए न्यूनतम समय में विद्युत उत्पादन को सामान्य किया जा सके।

म– निविदा प्रपत्रों में यह प्राविधान करवाया जायेगा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तित संयन्त्रों के संचालन हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

य– प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की क्षमता एवं कार्यकुशलता में सुधार के विषय में उनके अधिकारियों से आख्या प्राप्त करके उसका अध्ययन किया जायेगा एवं प्रशिक्षुओं से भी सुझाव ले कर पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार सुधार किया जाएगा।

8 मानव संसाधन विकास योजना (शैक्षिक उच्चीकरण प्लान) :

कार्मिकों की शैक्षिक योग्यताओं के निम्नवत् उच्चीकरण हेतु अवकाश एव वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :

- अशिक्षित कार्मिकों को आई.टी.आई. प्रमाणपत्र हेतु शिक्षण ।
- आई.टी.आई प्रमाणपत्र धारक कार्मिकों को डिप्लोमा इन्जीनियरिग हेतु प्रशिक्षण ।
- डिप्लोमाधारक कर्मिकों को अभियांत्रिकी में स्नातक हेतु प्रशिक्षण।
- अन्य कार्मिको के शैक्षिक स्तर में उच्चीकरण हेतु प्रशिक्षण।
- अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियो को स्नातकोत्तर शिक्षण (एम.टेक./पी.एच.डी./एम.वी.ए. इत्यादि)

सुझाव

9. प्रशिक्षण की रणनीति

उपरोक्त रुपरेखा को व्यवहारिक रूप से कियान्वित करने के लिये किसी एक समय पर प्रत्येक स्तर के 5 से 7 प्रतिशत कार्मिकों को प्रशिक्षण अथवा विकास के कार्यक्रमों हेतु भेजा जायेगा। इस कार्य हेतु मुख्यतः निम्नलिखित रणनीतियॉ लागू की जाएंगी :-

अ- कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

ब- निगम के अपने प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

स- तकनीकी व प्रबन्धन/प्रशासनिक क्षमता में विकास हेतु विद्युत उत्पादन क्षेत्र से संबन्धित प्रशिक्षण देने वाली विभिन्न बाह्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था

उपरोक्त रणनीति के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जायेंगी:-

क- लखनऊ स्थित मुख्यालय पर मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण) के अधीन प्रशिक्षण इकाई स्थापित की जाएगी जो निगम के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु नीति निर्धारण, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा निगमीय प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों के नियंत्रण (अधिष्ठान को छोड़कर) एवं अनुश्रवण, बाह्य प्रशिक्षण संस्थानो के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था कराने तथा समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियन्त्रण आदि कार्य करेगी।

ख- तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा को पूर्णतया स्वनिर्भर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाएगा जो सभी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी तकनीकी कार्मिकों को नव नियुक्ति के समय निगम के विभिन्न विद्युत गृहों पर आधारभूत प्रशिक्षण तथा सेवारत कार्मिकों के ज्ञान के उच्चीकरण के लिये आवश्यक नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगा। इस संस्थान का मुखिया महाप्रबन्धक/अतिरिक्त महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण) होगा एवं उसके अधीन विद्युत, यॉत्रिक, सी एण्ड आई, जानपद, कम्प्यूटर तथा लेखा के प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार उप महाप्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता एवं प्रवक्ता कार्यरत होंगे जो प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। ओबरा तापीय परियोजना पर स्थापित 200 मे0वा0 व अनपरा तापीय परियोजना पर 500 मे.वा. सिमुलेटरों का प्रशिक्षण एवं विकास इकाई के द्वारा पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

ग- कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सभी परियोजनाओं पर 50 प्रशिक्षुओं हेतु एक-एक लेक्चर हाल बनाया जायगा तथा परियोजना पर कार्यरत अनुभवी एवं इच्छुक अधिकारियों तथा आमन्त्रित विशेषज्ञों द्वारा चतुर्थ/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायगा। कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से भी कार्मिकों को अपने तकनीकी ज्ञान के उच्चीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। कम्प्यूटर साफ्टवेयर द्वारा प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन्हें अपने तकनीकी ज्ञान में वृद्धि का स्वय मूल्यांकन करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रत्येक परियोजना पर प्रशिक्षण इकाई स्थापित की जाएगी।

घ– विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संवधित प्रशिक्षण देने वाले निम्नलिखित संस्थानों के साथ सम्पर्क करके समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को समय–समय पर विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायगी :–

1– एन.टी.पी.सी. का सिगरौली पर स्थित प्रशिक्षण सस्थान ।
2– एन.टी.पी.सी. का रिहन्द में स्थित प्रशिक्षण संस्थान ।
3– विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ
4– नेशनल पावर ट्रेनिग इंस्टिट्यूट एवं एन.टी.पी.सी. के अन्य प्रशिक्षण संस्थान ।
5– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
6– विद्युत उत्पादन सम्बन्धित अन्य प्रशिक्षण संस्थान, जो समय–समय पर विकसित हों।

ङ– प्रबन्धन/प्रशासन का प्रशिक्षण एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, दिल्ली, आई.आई.एम., एक्स.एल.आर.आई, एम.डी.आई, गुढ.गांव, एन.टी.पी.सी. के विद्युत प्रबन्धन संस्थान अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से दिलाया जायगा।

च– प्रशिक्षण के अवसरों का इस प्रकार निर्धारण किया जाएगा कि इसके माध्यम से कार्मिकों में कार्य करने की भावना, जन–सहभागिता, स्वविकास, जागरूकता व आत्मचिन्तन की भावनाएँ विकसित हो सकें।

छ– प्रशिक्षण को सुसंगत बनाए रखने के लिए आवश्यक शोध तथा केस स्टडीज तैयार करने हेतु विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नेटवर्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

ज– प्रशिक्षणों के आयोजन से वांछित परिणाम प्राप्त करने व प्रशिक्षणों के प्रभाव के आंकलन की प्रणाली को विकसित किया जाएगा।

झ – प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य सामजस्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण अवधि में ही प्रशिक्षण के परिणामों के अनुश्रवण की व्यवस्था लागू की जाएगी।

10. नोडल अधिकारी

कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के निर्धारण, उपयुक्त व्यवस्था, प्रशिक्षण गतिविधियों के प्रभावी समन्वय तथा अनुश्रवण करने के लिये सभी परियोजनाओं पर स्थापित प्रशिक्षण इकाइयों के मुखिया परियोजनाओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी नोडल अधिकारियों के रुप में भी कार्य करेंगे। मुख्यालय की इकाईयों हेतु उपमहाप्रबंधक (प्रशिक्षण) ही नोडल अधिकारियों का कार्य करेंगे। नोडल अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यरत समूह 'ग' व 'घ' (अवर अभियन्ता स्तर को छोड़कर) के कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं विकास के प्रस्ताव तैयार करके प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कियान्वित करवाने के उत्तरदायी होंगे। अवर अभियन्ता स्तर, समूह 'क' व 'ख' के कार्मिकों के प्रशिक्षण व

विकास हेतु प्रस्ताव कारपोरेट प्रशिक्षण व विकास इकाई द्वारा तैयार कर उसका कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व होगा।

11. प्रशिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षणः

तार्पाय प्रशिक्षण संस्थान, ओवरा में प्रशिक्षक तैनात किये जाने हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक होगी :

क– सस्थान के मुखिया की तैनाती हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री तथा उपमहाप्रवन्धक पद पर एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। ऐसी तैनाती पर उनको मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता अतिरिक्त देय होगा।

ख– उत्पादन निगम लि0 मे कार्यरत अनुभवी, योग्य कुशल एवं स्वयं इच्छुक अधिकारियों को भी पूर्णकालिक प्रशिक्षकों के रूप में तैनात किया जा सकता है। ऐसी तैनाती पर उनको मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता अतिरिक्त देय होगा।

ग– उप महाप्रवन्धक स्तर के नए प्रशिक्षक नियुक्त करने के लिये विद्युत, यांत्रिक, इलेक्ट्रानिक/सी एण्ड आई, जानपद, कामर्स अथवा अन्य संवधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम से कम 14 वर्ष के अध्यापन का अनुभव आवश्यक होगा।

घ– मुख्य प्रवन्धक/प्रवन्धक स्तर के नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिये संवधित क्षेत्र मे स्नातकोत्तर की डिग्री तथा कम से कम 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक होगा ।

ड– प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये ज्ञान वृद्धि, कार्यकुशलता की वृद्धि एवं प्रशिक्षण प्रदान करने सम्वन्धी नए तौर तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नियमित रूप से कम–से कम 2 वर्ष में एक बार उनको प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजकर प्रशिक्षित कराया जाएगा। कम से कम 5 वर्ष तक सफलता एवं निष्ठापूर्वक प्रशिक्षण इकाई में कार्य करने के उपरान्त सुपात्र कार्मिको को निम्नलिखित लाभ दिए जाने पर विचार किया जायेगा :–

1) अतिरिक्त वेतन वृद्धि
2) विभाग मे इच्छानुसार तैनाती

च– समय–समय पर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रशिक्षकों को भी अध्यापन हेतु आमंत्रित किया आएगा जिसके लिए उनको निगम द्वारा उचित मानदेय (आनरेरियम) दिया जाएगा।

12. प्रशिक्षण की नीति का निर्धारण :

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, प्रशिक्षण इकाई, लखनऊ प्रशिक्षण संबंधी नीति एवं परिकल्पना तैयार करने एवं उसे निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होंगे। वह ओबरा तथा अन्य परियोजनाओं पर स्थापित प्रशिक्षण इकाइयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजनाओं के अनुमोदन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा प्रशासनिक नियंत्रण हेतु भी जिम्मेदार होंगे तथा प्रस्तर – 9घ में इंगित प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय भी स्थापित करेंगे एवं उनके माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

13. प्रशिक्षण हेतु निधि का प्राविधान :

प्रारम्भ में प्रशिक्षण हेतु निगम में कार्यरत कार्मिकों के मूल वेतन की लगभग 1.5 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान प्रशिक्षण के बजट में किया जायगा एवं उसको 5 वर्ष में धीरे–धीरे बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया जायगा। इस मद में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे :–

क– लखनऊ में स्थापित प्रशिक्षण इकाई, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा तथा अन्य परियोजनाओं पर स्थापित प्रशिक्षण इकाइयों का अधिष्ठान एवं प्रशासनिक व्यय तथा अन्य विविध व्यय।

ख– सेमिनारो, कार्यशालाओं, प्रबन्धन तथा तकनीकी गोष्ठियां तथा विकास के अन्य अल्पावधि के कार्यक्रमों पर व्यय।

ग– उपरोक्त प्रस्तर – 9घ में इंगित संस्थानों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाने हेतु किया जाने वाला व्यय।

घ– प्रशिक्षकों के ज्ञान एवं कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु उनको दिये जाने वाले प्रशिक्षण पर व्यय।

ड– प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु यात्राओं पर किया जाने वाला व्यय।

च– प्रशिक्षण सम्बन्धी बुनियादी ढांचों के विकास एवं आवश्यक उपकरणें के क्रय हेतु किया जाने वाला व्यय।

उपरोक्त समस्त मदों पर होने वाले व्ययों हेतु वार्षिक बजट तापीय प्रशिक्षण संस्थान एवं समस्त परियोजनाओं पर स्थापित संस्थानों द्वारा तैयार करके मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण), लखनऊ को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाएगा जिनका संकलन करके तथा अपनी इकाई का बजट सम्मिलित करके उनके द्वारा प्रशिक्षण का पूर्ण बजट तैयार कराकर अनुमोदन कराया जाएगा।

विद्युत विक्रय की दरें निर्धारित करवाते समय प्रशिक्षण पर किए जाने वाले उपरोक्त समस्त व्ययों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

....

सुरेन्द्र